समक्ष माननीय सदस्य मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल भोपाल मध्यप्रदेश

द्वितीय अपील कं:............/19

दुर्गा प्रसाद वैरागी अपील-0273/2019/राजगढ़/भू.रा.
आयु-वयस्क
पुत्र-श्री रामनारायण वैरागी
निवासी-पचौर, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश .... अपीलार्थी

विरूद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन
   द्वारा कलेक्टर, जिला राजगढ़ म.प्र.।

2. अनुविभागीय अधिकारी,
   सरंगपुर, जिला राजगढत्र म.प्र.।

3. प्रदीप मोहिते पुत्र श्री रंजन मोहिते
   निवासी-इन्द्रानगर कालोनी, शाजापुर,
   जिला-शाजापुर म.प्र.।

.... प्रतिउत्तरदातागण

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 44(2) म.प्र.-राजस्व संहिता 1959

अपीलार्थी विद्वान आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा उनके प्रकरण कमांक 0151/अपील/2018-2019 में पारित आदेश दिनांक 10/12/2018 से असन्तुष्ट एवं दुःखी होकर यह द्वितीय अपील आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त हाने की दिनांक से निर्धारित समयावधि में माननीय महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पत्रिका के अवलोकन से दिनांक 12/04/2013 को अपीलार्थी पर सूचना पत्र तामीली किये जाने के लिये आदेश पारित किया गया जिसमें आगामी तिथि दिनांक 17/04/2013 नियत की गई दिनांक 17/04/2013 की आदेश पत्रिका के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी को सूचना पत्र तामील हुआ अथवा नही इसका वर्णन नही है। अपितु इसके आदेश पत्रिका में यह वर्णित है कि अनावेदक दुर्गाप्रसाद सूचना अनुपस्थिती प्रथक-प्रथक समय में आवाज लगवाई गई तत्पश्चात भी वह अनुपरिथत है। अतः उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। जबकि प्रकरण आदेश पत्रिका के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के किसी भी सूचना पत्र की तामीली नही हुई थी। जिस

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक – 0273/2019/अपील–राजगढ़/भू.रा.

ध्यान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अ आदि के हस्ताक्ष
18/4/19	यह अपील अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण कमांक 151/18–19 अपील में पारित आदेश दिनांक 10–12–2018 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 (2) के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ अपीलांट के अभिभाषक के तर्को के कम में अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के आदेश दिनांक 10–12–2018 के अवलोकन पर पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी सारंगपुर जिला राजगढ़ ने प्रकरण कमांक 22 बी–121/2012–13 में आदेश दिनांक 31–5–13 पारित किया है, क्योंकि अपीलांट ने मध्य प्रदेश कालोनाईजर्स एंव रजिस्ट्रीकरण निर्बधन तथा शर्त नियम 1 एंव मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के प्रावधानों का उल्लॅघन करते हुये भूमि का डायवर्सन कराये बिना एंव कालोनाईजर्स का लायसेंस प्राप्त किये बिना छोटे छोट भूखंडों का विकय किया है । अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 10–12–2018 में यह भी विवेचित किया है कि अनुविभागीय अधिकारी सारंगपुर ने अपीलार्थी को कारण बताओ सूचना पत्र तामील कराकर एंव उसके जानबूझकर उपस्थित न होने पर एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये आदेश दिनांक 31–5–13 पारित किया है। अनुविभागीय अधिकारी सारंगपुर के आदेश दिनांक 31–5–13 के विरूद्व अपीलांट ने अपर आयुक्त भोपाल संभाग के समक्ष दिनांक 30–10–18 को अर्थात आदेश पारित होने के लगभग 5 वर्ष 5 माह के अन्तराल से अपील	

प्रस्तुत की है जिसे अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 10–12–2018 से अवधि वाह्य मानकर निरस्त किया है।

1. पी.के.रामचन्द्र बनाम स्टेट आफ केरल **A.I.R. 1998 S.C. 2276** का न्याय दृष्टांत है कि विलम्ब क्षमा किये जाने के सम्बन्ध में जो स्पष्टीकरण व आधार वर्णित थे उनको देखने से यह दर्शित होता था कि विलम्ब का समुचित व पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। विलम्ब क्षमा करने से इंकार किया गया।
2. लंगरी बनाम छोटा 1992 रा0नि0 289 उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत है कि भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 47 सहपठित परिसीमा अधिनियम 1963 – धारा 5 – कार्यवाही में अनुपस्थित एंव काउन्सेल से संपर्क का प्रयास नहीं किया जाना – मामले के प्रचलन के विषय में जांच का प्रयास नहीं किया जाना – विलम्ब के लिये माफी के संदर्भ में सदभाविक नहीं कहा जा सकता।
3. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 47 सहपठित परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा –5 – समय वर्जित अपील – विलम्ब माफी हेतु आवेदन – आदेश की जानकारी का सही श्रोत नहीं दर्शाया – प्रत्येक दिन के विलम्ब के विषय में स्पष्टीकरण भी नहीं दिया – विलम्ब माफ नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत की गई अपील विहित अवधि के भीतर नहीं थी अपितु समयवर्जित थी। विलम्ब क्षमा करने की प्रार्थना की गई थी, परन्तु विलम्ब क्षमा किये जाने के संबंध में दर्शाया गया कारण समुचित कारण की कोटि में नहीं आता था। विलम्ब क्षमा करने से इंकार कर दिया गया। स्टेट आफ एम0पी0 बनाम रामप्रकाश शर्मा 1989 जे0एल0जे0 36 म0प्र0 तथा कृष्णदास बनाम म्युनिस्पिल कार्पो0 ग्वालियर 1997 (2) म0प्र0वी0नो0 111 से अनुसरित.

उपरोक्त के प्रकाश में अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल व्दारा प्रकरण कमांक 151/18–19 अपील में पारित आदेश दिनांक 10–12–2018 सही आधारों पर आधारित होना पाये जाने से हस्तक्षेप का औचित्य नहीं होने से अपील अमान्य की जाती है।

सदस्य